UPJB040110622022

Presented on : 10-06-2022
Registered on : 14-06-2022
Decided on : 08-07-2022
Duration : 0 years, 0 months, 28 days

IN THE COURT OF
CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) / J.M. (F.T.C. - 02)
AT ,Jyotiba Phule Nagar (Amroha)
(Presided Over by SMT. MEHNAZ KHAN)

Criminal Misc. Cases/757/2022

न्यायालयः सिविल जज (जू0डि0)/जे.एम./एफ.टी.सी. द्वितीय अमरोहा

विविध वाद संख्या–82/2022
श्रीमती फिरोना **बनाम** **निसार अहमद आदि**
थाना–महिला, जिला अमरोहा ।
अंतर्गत धारा – 156 (3) दं0प्र0सं0

दिनांक 08.07.2022– पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थनी के विद्वान अधिवक्ता को आज ही सुना गया। पत्रावली आदेशार्थ लन्च वाद प्रस्तुत।

प्रार्थनी/आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थनी की शादी दिनांक 25.08.2020 को निसार अहमद के साथ हुई थी। प्रार्थनी के पिता ने उसकी शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था, परन्तु प्रार्थनी के ससुराल वाले दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे तथा दहेज में 5 लाख रूपये नगद की मांग करने लगे। तथा अब से करीब एक माह पूर्व प्रार्थनी को मारपीट कर घर से उसके पुत्र सहित निकाल दिया। दिनांक 01.06.2022 को समय करीब 05 बजे शाम प्रार्थनी के पति निसार अहमद, रूखसार अहमद, दिलशाद अहमद, मैसर, फुरसत जहां व बुन्दू रूखसाना प्रार्थनी के पिता के घर पर आये और आते ही प्रार्थनी से 5 लाख रूपये नगद की मांग की। मना करने पर उपरोक्त सभी मुल्जिमान ने प्रार्थनी को बुरी तरह से मारा पीटा। मौके पर उसके पिता व भाई आ गये जिन्होंने बचाया तथा जाते समय 5 लाख रूपये न देने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गये। प्रार्थनी रिपोर्ट लिखाने थाने गयी लेकिन प्रार्थनी की रिपोर्ट नहीं लिखी। प्रार्थनी ने प्रार्थना पत्र रजि0 डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक अमरोहा को प्रेषित किया, परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर उक्त विविध वाद योजित किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

संबंधित थाने की आख्यानुसार थाना हाजा पर प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा यिके गये अभिकथनों के आधार पर प्रथमदृष्टया, विपक्षी द्वारा, संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। तदनुसार संबंधित थाने से विवेचना कराये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष महिला थाना को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत कर विवेचना करें।

एस0डि0/

(मेहनाज खान)

सिविल जज (जू0डि0)/जे.एम./एफ.टी.सी. द्वितीय

जनपद अमरोहा